मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 130 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की नर्मदापुरम में विभिन्न धार्मिक त्यौहारों के दौरान घाटों पर महिलाओं को स्नान के उपरांत कपड़े बदलने की सुविधा न होने,

(2) श्री सुनील सराफ, सदस्य की कोतमा विधानसभा क्षेत्र में बंद पड़ी नल जल योजनाओं को चालू कराये जाने,

(3) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की कई वर्षों से कार्यरत हजारों आउट सोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान भी न मिलने,

(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुजापुर एवं नदीवता पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था किए जाने,

(5) श्री मनोज चावला, सदस्य की जावरा स्थित मॉडल हा.से.स्कूल में विगत कई वर्षो से नियमों को दर किनार करते हुये अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर भ्रष्टाचार किये जाने,

(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की जिला धार में जेलर तथा जेलगार्ड द्वारा कैदी की निर्ममता से की गई पिटाई के कारण कैदी की मौत होने,

(7) श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य की सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के किसानों की धान को पोर्टल पर इंद्राज नही किये जाने,

(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पराडिया ताज व ग्राम बेराखेड़ी के बीच बहने वाली छोटी नदी पर पुल बनाये जाने,

(9) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मनगंवा में ग्राम पंचायत गुढ़वा अंतर्गत हनुमना तालाब का रखरखाव न किये जाने तथा

(10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की वेलसन एनर्जी कंपनी ने कटनी जिले के ग्राम डोकरिया एवं बुजबुजा में पावर प्लांट बनाने हेतु अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा किसानों को न दिये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने उल्लेख किया कि ए.सी.सी. कंपनी द्वारा मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया था कि 75 प्रतिशत स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा जो नहीं दिया गया, बल्कि किसानों की जमीन पर कब्जे कर लिए और बाउड्रीवाल बनाली. मेरे द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण के उत्तर में आसंदी के निर्देश पर उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 13 मार्च, 2023 से पहले विभागीय अधिकारी और ए.सी.सी. कम्पनी के साथ मुझे भी शामिल करते हुए बैठ कर इसका निराकरण कर लेंगे. परन्तु न तो मेरे साथ कोई बैठक हुई और इस तरह आपके निर्देशों का उल्लंघन हुआ है. आसंदी से आग्रह है कि बैठक आयोजित करने हेतु पुन: निर्देशित करे.

4. अशासकीय संकल्प

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"दिनांक 17 फरवरी, 2023 को हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय गणराज्य के ऊपर हमला करने के एकमात्र उद्देश्य से बी.बी.सी. द्वारा एक आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्री का भाग-एक जारी किया गया. जिसमें गुजरात में वर्ष 2002 में हुई घटनाओं को गलत तरीके से दिखाकर बी.बी.सी. ने भारत की न्यायिक संस्थाओं को समझौता करने वाली संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत किया. जबकि भारत की न्यायिक व्यवस्था शीर्ष से अधीनस्थ अदालतों तक पूरी स्वतंत्रता के साथ न्याय देती है। तथापि बी.बी.सी. ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 24 जून, 2022 के निर्णय को अनदेखा करते हुये असत्य बातें की. यह कृत्य भारत की न्यायिक अधिकारिता की सत्यनिष्ठा पर सीधा प्रहार है। बी.बी.सी. ने स्वयं को अपीलीय प्राधिकरण के रूप में दिखाया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विवेक को भी पीछे छोड़ दिया। बी.बी.सी. की डॉक्यूमेंट्री सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है क्योंकि उसमें अदालत के तर्कों और क्षमताओं की घोर अनदेखी की गई है.

अतः यह सदन इस डॉक्यूमेंट्री को जारी और प्रसारित करने की घोर निंदा करता है और केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ऐसे कृत्य को माफ नहीं किया जाना चाहिए और भारत के आंतरिक मामलों में गैर-कानूनी हस्तक्षेप के लिये बी.बी.सी. के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए.".

आसंदी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर सदन का मत लिया गया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.
ध्वनि मत से संकल्प स्वीकृत हुआ.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व संबद्ध विभाग) मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-1, एवं

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु विरासत स्थलों, अभिलेखागारों एवं संग्रहालयों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-7 पटल पर रखे.

(ख) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 166, मध्यप्रदेश वेट कर अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5), मध्यप्रदेश स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) की धारा 15 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) की धारा 15 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आज की कार्यसूची में अंकित बिन्दु क्रमांक (1) से (276) तक अधिसूचनाएं पटल पर रखीं.

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह, सदस्य ने दमोह जिले के नौरादेही अभयारण्य के विस्थापितों का उचित व्यवस्थापन न होने की ओर डॉ. कुंवर विजय शाह, वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य ने खाद कम्पनियों द्वारा किसानों को खाद के अलावा अन्य सामग्री खरीदने को मजबूर किये जाने की ओर श्री कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. उनकी अनुपस्थिति में अधिकृत डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का अभ्यावेदनों से संबंधित चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं विधान सभा के माननीय सदस्यों, प्रमुख सचिव एवं अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का चवालीसवां से अड़तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(3) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौंतीसवां से अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

8. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)
(2) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(3) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(4) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)
(5) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)
(6) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(7) श्री प्रणय प्रभात पान्डे (जिला-कटनी)
(8) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(9) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(10) श्री प्रागीलाल जाटव (जिला-शिवपुरी)
(11) श्री प्रहलाल लोधी (जिला-पन्ना)
(12) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(13) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(14) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(15) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(16) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(17) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-मुरैना)
(18) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(19) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(20) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(21) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(22) श्रीमती सुनीता पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(23) श्री तरवर सिंह (जिला-सागर)
(24) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-अनूपपुर)
(25) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(26) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(27) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-अनूपपुर)
(28) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(29) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-अनूपपुर)
(30) श्री श्यामलाल द्विवेदी (जिला-अनूपपुर)
(31) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(32) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(33) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(34) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(35) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(36) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(37) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा' (जिला-मुरैना)
(38) श्री घनश्याम सिंह (जिला-ग्वालियर, शिवपुरी एवं दतिया)
(39) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)

9. शासकीय वक्तव्य.

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने दिनांक 11 अगस्त, 2021 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 90 (क्रमांक 728) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 28 फरवरी एवं 2 मार्च, 2023 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

(20) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा

सभापति महोदय (श्री दिव्यराज सिंह) पीठासीन हुए.

(21) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(22) श्री बहादुर सिंह चौहान
(23) श्री नारायण सिंह पट्टा

(अपरान्ह 1.30 बजे से 3.09 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण तथा वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित किये जाने की सिफारिशें की गई हैं :-

क्र.	नाम विधेयक	आवंटित समय
(1)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023)	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 2 सन् 2023)	30 मिनिट
(3)	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 4 सन् 2023)	30 मिनिट
(4)	वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण संबंधी चर्चा.	2 घण्टा

2. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए आवंटित समय.

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	आवंटित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान , मुख्यमंत्री	1-सामान्य प्रशासन 2 -विमानन 20 -लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 32- जनसम्पर्क 41-प्रवासी भारतीय 45-लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन 48-नर्मदा घाटी विकास 55-महिला एवं बाल विकास 57-आनंद	1 घण्टा 30 मि.
2 .	डॉ.नरोत्तम मिश्र,मंत्री	3 -गृह 5-जेल 28- राज्य विधान मण्डल 29- विधि और विधायी कार्य	1 घण्टा 30 मि.
3 .	श्री गोपाल भार्गव ,मंत्री	24 -लोक निर्माण कार्य 56- कुटीर एवं ग्रामोद्योग	1 घण्टा 30 मि.
4 .	श्री तुलसीराम सिलावट ,मंत्री	16 -मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 23 -जल संसाधन	1 घण्टा
5 .	डॉ.कुंवर विजय शाह ,मंत्री	10 -वन	1 घण्टा
6.	श्री जगदीश देवड़ा ,मंत्री	6 -वित्त 7 -वाणिज्यिक कर 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	
7 .	श्री बिसाहूलाल सिंह ,मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
8 .	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ,मंत्री	43 -खेल और युवा कल्याण 47- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1 घण्टा
9.	श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री	22 -नगरीय विकास एवं आवास	1 घण्टा 30 मि.
10.	कु.मीना सिंह मांडवे, मंत्री	33 -जनजातीय कार्य 49 -अनुसूचित जाति कल्याण	30 मिनिट
11 .	श्री कमल पटेल ,मंत्री	13 -किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1 घण्टा

12.	श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री	8- भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय 36- परिवहन	1 घण्टा 30 मि.
13 .	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ,मंत्री	18 -श्रम 25- खनिज साधन	30 मिनिट
14 .	श्री विश्वास सारंग ,मंत्री	42 -भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 52 -चिकित्सा शिक्षा	30 मिनिट
15.	डॉ. प्रभुराम चौधरी ,मंत्री	19 -लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घण्टा
16 .	डॉ.महेन्द्र सिंह सिसौदिया ,मंत्री	30 -ग्रामीण विकास 40- पंचायत	1 घण्टा 30 मि.
17 .	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ,मंत्री	12 -ऊर्जा	1 घण्टा
18 .	श्री प्रेम सिंह पटेल ,मंत्री	14 -पशुपालन एवं डेयरी 34- सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	30 मिनिट
19 .	श्री ओम प्रकाश सखलेचा ,मंत्री	35 -सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 46 -विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30 मिनिट
20 .	सुश्री उषा ठाकुर ,मंत्री	26 -संस्कृति 37- पर्यटन 51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	30 मिनिट
21 .	डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ,मंत्री	17 -सहकारिता 21 -लोक सेवा प्रबन्धन	30मिनिट
22.	डॉ. मोहन यादव ,मंत्री	44 -उच्च शिक्षा	1 घण्टा
23.	श्री हरदीप सिंह डंग ,मंत्री	09 -नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा 4- पर्यावरण	30 मिनिट
24 .	श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ,मंत्री	11 -औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	30 मिनिट
25.	श्री भारत सिंह कुशवाहा ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	30 मिनिट
26.	श्री इंदर सिंह परमार ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	27- स्कूल शिक्षा	1 घण्टा
27.	श्री रामखेलावन पटेल ,मंत्री	15- घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग 53- अल्प संख्यक कल्याण 54- पिछड़ा वर्ग कल्याण	30 मिनिट
28.	श्री राम किशोर (नानो) कांवरे, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	38- आयुष	30 मिनिट

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार-

(1) दिनांक 14 मार्च से 17 मार्च तथा 20 मार्च, 2023 तक भोजनावकाश न रखा जाए.

(2) आय-व्ययक संबंधी सामान्य चर्चा दिनांक 14 मार्च, 2023 को रखी जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी सभापति महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(24) श्री देवीलाल धाकड़
(25) डॉ. हिरालाल अलावा
(26) श्री उमाकांत शर्मा
(27) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
(28) श्री सूबेदार सिंह रजौधा

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(29) श्री विनय सक्सेना
(30) श्री राजेश कुमार प्रजापति
(31) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय
(32) श्री बापू सिंह तंवर
(33) श्री राम दांगोरे
(34) श्री महेश परमार

अपराह्न 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 (23 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 13 मार्च, 2023